बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-१ ला अंक-२३५ वा शनिवार २९ मार्च २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

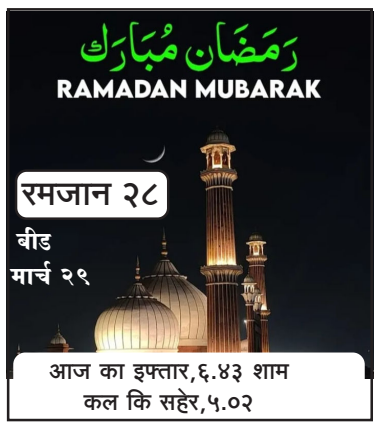

दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

अबकी ईद, सबकी ईद के, के जी एन के संदेश के साथ ८००० से अधिक राशन किट्स का वितरण

बीड:(संवाददाता): रमज़ान के पाक महीने में हर साल की तरह इस बार भी ऑल महाराष्ट्र के.जी.एन. ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष सैयद ज़हीर अली कादरी की ओर से एक बड़ी और नेक पहल की गई। ज़रूरतमंदों की मदद को अपना फर्ज़ समझते हुए ग्रुप की तरफ से ८००० से अधिक राशन किट्स का वितरण किया गया, जिससे सैकड़ों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई।

कार्यक्रम की शुरुआत अपर पुलिस अधीक्षक श्री सचिन पांडकर साहब के करकमलों से हुई। इस मौके पर स्थानीय गुन्हे शाखा के प्रमुख पुलिस निरीक्षक उस्मान शेख, शहर थाने के निरीक्षक शीतलकुमार भल्लाळ, पुलिस निरीक्षक अशोक मोदीराज समेत कई गणमान्य पुलिस अधिकारी सि एस डॉ थोरात और पत्रकार भागवत थावरे उपस्थित थे। कार्यक्रम में के.जी.एन. ग्रुप के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बढ़-चढ़कर मौजूद रहे और अपनी सेवा भावना से इस मुहिम को सफल बनाया।

टिप्पणी: रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने और इबादत करने का महीना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद कर इंसानियत को समझने और अपनाने का महीना भी है। सैयद ज़हीर अली कादरी और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया कि ईद तभी सबकी होती है, जब खुशियों में सबको शामिल किया जाए। अबकीईद, सबकीईद - इस भावना को जीवंत कर दिखाया।

जुमातुल विदा पर मुस्लिमों ने वक्फ़ बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन, बोर्ड की अपील का मिला-जुला असर देखने को मिला

नई दिल्ली: जुमा तूल--विदा के मौके पर देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ़ विकास (संशोधन) विधेयक २०२३ के खिलाफ विरोध दर्ज किया। लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा करते समय काली पट्टियां बांधकर इस बिल के प्रति नाराज़गी जताई।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठनों ने पहले ही इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के दौरान शांतिपूर्ण विरोध की अपील की थी। कई मस्जिदों में इमामों ने वक्फ़ संपत्तियों से जुड़े अधिकारों और इस नए बिल से होने वाले संभावित नुकसानों पर बयान दिए।

हालांकि, बोर्ड की इस अपील का असर देशभर में मिला-जुला देखने को मिला। कुछ मस्जिदों और इलाकों में लोगों ने व्यापक रूप से काली पट्टी पहनकर विरोध जताया, जबकि कुछ स्थानों पर इस अपील का कोई खास असर नहीं दिखा।

विशेषज्ञों और धार्मिक नेताओं का मानना है कि यह विधेयक वक्फ़ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों की स्वायत्तता पर खतरा पैदा हो सकता है।

बोर्ड ने सरकार से इस विधेयक को वापस लेने और मुस्लिम संगठनों से सलाह-मशविरा कर कोई भी बदलाव लाने की मांग की है।

क्या प्रशांत कोरटकर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रतीक पडवेकर भी थे?

अतुल लोंढे ने की फडणवीस से सफाई देने की मांग

मुंबई (विशेष प्रतिनिधि): छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले तथाकथित पत्रकार प्रशांत कोरटकर की गिरफ्तारी तेलंगाना के मंचिरयाल से हुई है, इसकी जानकारी सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन अब इस गिरफ्तारी को लेकर एक नया सवाल उठाया गया है।

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने दावा किया है कि गिरफ्तारी के समय कोरटकर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी प्रतीक पडवेकर भी मौजूद थे। उन्होंने मांग की है कि राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अतुल लोंढे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार जब प्रशांत कोरटकर को तेलंगाना में गिरफ्तार किया गया, उस समय प्रतीक पडवेकर उनके साथ थे। यदि यह सच है तो उन्हें अब तक क्यों छिपाया गया है? उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जा रहा?

लोंढे ने सवाल उठाया कि पिछले एक महीने तक कोरटकर को मदद कौन कर रहा था, वह किनके संरक्षण में छिपा हुआ था, और अब इन सवालों के जवाब जनता को क्यों नहीं दिए जा रहे? अगर सरकार और गृहमंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, तो उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रशांत कोरटकर एक महीने तक फरार रहा, और इस दौरान उसे किसका समर्थन मिला, किसके आशीर्वाद से वह छिपा रहा - इसका जवाब जनता जानना चाहती है। महाराष्ट्र की जनता को सच्चाई जानने का हक है, ऐसा लोंढे ने दो टूक कहा।

राज्य के ६४ लाख किसानों को मिलेगा २,५५५ करोड़ रुपये का बीमा मुआवज़ा

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा निर्णय-किसानों के खातों में सीधे जमा होगी राशि

मुंबई (जमीर काज़ी): महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के ६४ लाख किसानों को बड़ी राहत देते हुए २,५५५ करोड़ रुपये के बीमा मुआवज़े के वितरण का निर्णय लिया है। यह राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाएगी।

सरकार ने बीमा कंपनियों को देय २,८५२ करोड़ रुपये का राज्यांश अनुदान जारी करने को मंजूरी दी है। इससे विभिन्न पिछले सीजन में लंबित बीमा दावों की रकम किसानों को मिल सकेगी।

कृषि मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे ने बताया कि बीमा कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिले।

कुल मिलाकर २,५५५ करोड़ रुपये की बीमा राशि किसानों को दी जाएगी, जिससे राज्य के ६४ लाख लाभार्थी किसान लाभान्वित होंगे।

कृषि मंत्री कोकाटे ने कहा कि यह निर्णय किसानों के लिए बड़ा राहतकारी कदम है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। बीमा कंपनियों को धनराशि वितरित की जा चुकी है और जल्द ही यह रकम किसानों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

वाशिम जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी दत्तात्रय भरणे यांची नियुक्ती

मुंबई, दि. २८ - वाशिम जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. या नव्या जबाबदारीमुळे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

पालकमंत्री पदाची धुरा सांभाळताना वाशिम जिल्ह्याचा सर्वांगीण, समतोल विकास साधणार अशी प्रतिक्रिया मंत्री श्री. भरणे यांनी दिली आहे. वाशिम जिल्हयात शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काटेकोर नियोजन करणार. पायाभूत सुविधा भक्कम करण्याबरोबर लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, कष्टकरी, उपेक्षित, महिला, वृद्ध, युवक आदी घटकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार. विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही असे, मंत्री श्री. भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू और नितिन गडकरी से की मुलाकात

वक्फ विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा, तीन नए मुद्दों को बिल में शामिल करने की मांग

बीड (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी ने दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजीजू से मुलाकात की। इस दौरान समीर काज़ी ने प्रस्तावित वक्फ बिल के संदर्भ में वक्फ विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और तीन नए महत्वपूर्ण मुद्दों को बिल में शामिल करने की पुरज़ोर मांग की। उन्होंने कहा कि ये तीनों मुद्दे वक्फ संपत्तियों के विकास के लिहाज़ से अत्यंत अहम हैं।

इसके बाद समीर काज़ी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे इन प्रस्तावों की सिफारिश केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू से करें।

इस बैठक में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दत्ता मामा भरणे, वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनैद सय्यद, और सचिव जयवंश भी उपस्थित थे। समीर काज़ी ने बैठक के दौरान वक्फ संपत्तियों की ३० साल की लीज़ अवधि को ९९ साल तक बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान ३० वर्ष की लीज़ अवधि बहुत ही कम है, जिससे वक्फ संपत्ति के विकास के इच्छुक निवेशक आगे नहीं आ रहे हैं।

इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग की कि वक्फ संपत्तियों पर बीओटी (बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो) मॉडल के तहत जो लोग लीज़ पर संपत्ति लेते हैं, उन्हें सब-लीज़ की अनुमति दी जाए, विशेष रूप से उन संपत्तियों पर जिन्हें औद्योगिक उद्देश्यों से लीज़ पर लिया गया है। साथ ही सेक्शन ५१ के तहत जॉइंट वेंचर डेवेलपमेंट की अनुमति देने की भी सिफारिश की गई।

तीसरी अहम मांग यह रही कि वक्फ बाय यूज़र - यानी वे संस्थाएं जो वर्षों से किसी संपत्ति पर कार्यरत हैं लेकिन जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं - उन्हें पूर्ववत की तरह पंजीकरण की सुविधा मिलनी चाहिए। समीर काज़ी ने कहा कि नए प्रस्तावित वक्फ बिल में यह सुविधा हटाई जा रही है, जिसे पुनः बहाल किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रिजीजू ने इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए इन्हें नए वक्फ बिल में शामिल करने की दिशा में ठोस आश्वासन दिया।

विशेष ऑडिट सॉफ्टवेयर की मांग

समीर काज़ी ने केंद्रीय मंत्री रिजीजू से वक्फ विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए वक्फ बोर्ड के लिए एक विशेष ऑडिट सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की मांग की। मंत्री रिजीजू ने इस पर तुरंत सहमति जताई। यह सॉफ्टवेयर वक्फ बोर्ड की ऑडिट प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा, साथ ही पंजीकरण समेत अन्य प्रक्रियाएं भी सुगम होंगी।

काज़ी की सलाहों को रिजीजू ने माना अहम

वक्फ बिल के संबंध में समीर काज़ी द्वारा दिए गए तीन सुझावों पर मंत्री रिजीजू ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब तक कई राज्यों के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष उनसे मिलने आए, लेकिन इतनी व्यावहारिक और उपयोगी सलाहें पहली बार प्राप्त हुई हैं। उन्होंने तुरंत अपने सचिव को फोन कर इन सुझावों को नोट कराने का निर्देश दिया।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

पांच लाख रुपये तक के कर्जधारकों के लिए गजानन बैंक की 'केशर ऋणरक्षा निधि' योजना-मृतक कर्जधारकों के वारिसों को बड़ी राहत

बीड़, २८ मार्च (प्रतिनिधि):

जिले की प्रमुख सहकारी बैंकों में से एक श्री गजानन नागरी सहकारी बैंक ने कर्जधारकों के लिए एक नवोन्मेषी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम 'केशर ऋणरक्षा निधि' रखा गया है। इसके अंतर्गत, पांच लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले किसी कर्जधारक की मृत्यु हो जाने पर उसका कर्ज बैंक द्वारा चुकता कर दिया जाएगा। इससे मृतक कर्जधारक के वारिसों और गारंटरों को ऋण से पूरी तरह मुक्त कर राहत प्रदान की जाएगी। इस योजना की जानकारी बैंक के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर ने दी।

मृत्यु के बाद कर्ज का नहीं रहेगा बोझ

बैंक के अनुसार, नाममात्र सदस्य और कर्मचारियों को दिए गए कर्ज की भरपाई के लिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यदि पांच

लाख तक का कर्ज लेने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना के तहत उसका सारा कर्ज चुकता कर दिया जाएगा।

कर्ज के साथ ही लिया जाएगा ऋणरक्षा निधि शुल्क

बैंक के संचालक मंडल ने इस योजना के तहत कर्ज वितरण के समय ही ऋणरक्षा निधि के रूप में मूल कर्ज राशि का १% और आगे हर वर्ष प्रति लाख रुपये पर ५०० रुपये का शुल्क तय किया है। कर्ज की अवधि के दौरान यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना से उसका कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और वारिसों तथा गारंटरों को राहत दी जाएगी।

जनवरी २०२५ से लागू योजना से पहला लाभार्थी

यह योजना जनवरी २०२५ से लागू की गई है। इस बीच मैदा गांव के कृष्णा कारभारी राऊत इस योजना में शामिल हुए थे। दुर्भाग्यवश, १ मार्च २०२५ को उनका अल्प बीमारी के चलते निधन हो गया। वे अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, जिससे कर्ज को लेकर चिंता थी। लेकिन केशर ऋणरक्षा निधि योजना के तहत राऊत परिवार और उनके गारंटरों को बड़ी राहत मिली। बैंक ने उन्हें एक लाख रुपये की सहायता राशि और अन्य छूट देकर संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया।

केशर ऋणरक्षा निधि से १२०७ कर्जधारकों को लाभ

गजानन बैंक से पांच लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले कुल १२०७ सदस्य हैं, जिन्हें इस योजना से बड़ा लाभ मिलने वाला है।

सुविधा के लिए प्रक्रिया भी तय

मृत कर्जधारक के वारिसों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्जधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र और आवेदन पत्र बैंक में जमा करना होगा। योजना के अनुसार –

मृत्यु एक वर्ष के भीतर हो तो ५०% कर्ज माफ होगा,

एक वर्ष के बाद ७५%

और दो वर्ष के बाद १००% कर्ज माफ किया जाएगा।

बैंक अध्यक्ष जयदत्त क्षीरसागर और उपाध्यक्ष जगदीश काळे ने सभी पात्र सदस्य और उनके परिवारजनों से इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए बैंक के संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या शाखा प्रमुख से संपर्क करने की अपील की है।

जिंतूर कुरैशी बिरादरी का खाबीले तारीफ कारनामा!

कुरैशी मस्जिद के इमाम अकबर खान और उनकी अहेलीया को हज्जे उमरा जाने का किया बंदोबस्त!

जिंतूर (एम एजाज जिंतूरकर) शहर के कुरैशी मस्जिद मे ३४ साल से बेलौस खिदमत को देखते हुवे! कुरैशी मस्जिद के कुरैशी बिरादरी नौजवानो ने मिल कर और मुस्लीयान मस्जिद की तरफ से मौलाना अकबर खान साहब को और उनकी आहेलिया ये दोनो को मक्के मुकर्मा और मदिने मुन्नवरा के जिरायत हज्जे उमरा जाने का पुरा बंदोबस्त किया गया! कुरैशी मस्जिद के पेश इमाम हजरत मौलाना अकबर खान साहब की ३४ साला बेलोस खिदमात के बदले में छोटा सा तोहफा कुरैशी बिरादरी के नौजवानो की ओर से पेश इमाम मौलाना अकबर खान की खिदमत मे पेश किया गया! मौलाना अकबर खान इद के बाद उमरा के लिये! अपने अहेलिया के साथ रवाना होगे! कुरैश बिरादरी के नौजवानो के इस जजबे को सलाम!

संचालक दयानंद कांबळे और अनुसंधान अधिकारी मयूरा देशपांडे को सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं

मुंबई, २८ मार्च:

महासंचालनालय, माहिती व जनसंपर्क विभाग के संचालक (सूचना) (वृत्त एवं जनसंपर्क) दयानंद कांबळे और अनुसंधान अधिकारी मयूरा देशपांडे-पाटोदकर के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में आज उन्हें सम्मानपूर्वक शुभकामनाएं दी गईं। यह शुभेच्छा कार्यक्रम महासंचालनालय के प्रधान सचिव तथा महासंचालक बृजेश सिंह के करकमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री सिंह ने दोनों अधिकारियों को उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं और स्वस्थ एवं सुखद जीवन की कामना की।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव समृद्धि अनगोळकर, संचालक (सूचना-प्रशासन) हेमराज बागुल, संचालक (सूचना) किशोर गांगुर्डे, संचालक (सूचना) डॉ. गणेश मुळे, सहित महासंचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

महासंचालक बृजेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि श्री कांबळे और श्रीमती देशपांडे-पाटोदकर ने अपने सेवाकाल के दौरान महासंचालनालय के कार्य में उल्लेखनीय योगदान दिया और कई नवोन्मेषी योजनाओं का संचालन किया, जिसके लिए वे सराहना के पात्र हैं।

संचालक (सूचना-प्रशासन) हेमराज बागुल ने कहा कि श्री कांबळे ने कार्यप्रणाली में नवाचार और आधुनिक तकनीकों का सफल उपयोग कर विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया। उनके प्रयासों से कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले।

वहीं, संचालक (सूचना) डॉ. गणेश मुळे ने श्री कांबळे और श्रीमती देशपांडे-पाटोदकर के कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग को रेखांकित करते हुए उनके योगदान की प्रशंसा की।

इस अवसर पर अवर सचिव अजय भोसले, उपसंचालक (प्रशासन) गोविंद अहंकारी ने भी अपने विचार व्यक्त कर दोनों अधिकारियों को शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम के अंत में सेवानिवृत्त हो रहे संचालक दयानंद कांबळे और अनुसंधान अधिकारी मयूरा देशपांडे-पाटोदकर ने सम्मान प्राप्त कर महासंचालनालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और सभी सहयोगियों का आभार माना।

संतोष देशमुख हत्याकांड में सुग्रीव कराड की एंट्री

आरोपी चाटे और महेश केदार ने किया खुलासा-सुदर्शन घुले के अपमान का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या

बीड, २८ मार्च (प्रतिनिधि): मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड की न्यायालयीन सुनवाई शुरू हो चुकी है। दो दिन पहले ही बीड न्यायालय में इस प्रकरण की पहली सुनवाई विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की उपस्थिति में हुई। सुनवाई के दौरान निकम ने आरोपियों के आपराधिक कृत्य पर जोर देते हुए बताया कि उखऊ पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि यह हत्या फिरौती (खंडणी) के उद्देश्य से की गई थी और आरोपियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है।

इस मामले में अब एक और नया मोड़ सामने आया है। अब सुग्रीव कराड का नाम इस हत्या से जुड़ता नजर आ रहा है। आरोपियों जयराम चाटे और महेश केदार ने पुलिस के समक्ष दिए गए कबूलनामे में कहा है कि सुग्रीव कराड के कहने पर संतोष देशमुख और मस्साजोग के ग्रामीणों ने सुदर्शन घुले की पिटाई की थी, जिसके चलते यह पूर्व वैमनस्य उत्पन्न हुआ और इसी रंजिश के चलते देशमुख की हत्या की गई।

गौरतलब है कि जयराम चाटे और महेश केदार के कबूलनामे में कहीं भी खंडणी का ज़िक्र नहीं है। इसके विपरीत, दोनों ने अपने बयान में इस बात का खुलासा किया कि यह घटना सुदर्शन घुले के अपमान का बदला लेने के लिए रची गई थी। उन्होंने बताया कि फरार आरोपी कृष्णा आंधळे ने उन्हें कहा था कि संतोष देशमुख को सबक सिखाना है, जिसके चलते उन्होंने उस पर हमला किया।

बयानों में इस बात का भी उल्लेख है कि सुग्रीव कराड के कहने पर सरपंच देशमुख और गांव वालों ने सुदर्शन घुले की पिटाई की थी, जिससे सुदर्शन और वाल्मिक अण्णा की बदनामी हुई और इसी का बदला लेने की योजना बनाई गई। कृष्णा आंधळे ने चाटे और केदार को इस बदले की भावना में शामिल किया।

फिलहाल इस केस में कृष्णा आंधळे फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं, आरोपी चाटे और केदार के कबूलनामों ने हत्याकांड की नई थ्योरी को जन्म दे दिया है, जिससे केस की दिशा अब बदलती नज़र आ रही है।

परळी पुलिसने महज ५ घंटे में दाखिल किया आरोपपत्र

महिला से अश्लील हरकत मामले में तेज़ी से की गई कार्रवाई

परळी वैजनाथ, २८ मार्च (प्रतिनिधि): परळी शहर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार सुबह हुए एक गंभीर अपराध में महज ५ घंटे के भीतर आरोपपत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस मामले में जांच और दस्तावेज़ों की पुष्टि पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जो पुलिस की तेज़ और प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण है।

शुक्रवार (२८ मार्च) की सुबह करीब ६:३० बजे, शहर पुलिस स्टेशन की हद में स्थित कडबा मार्केट, वखार महामंडल की खाली ज़मीन पर कुछ महिलाएं प्रातःविधि के लिए गई थीं। उसी समय एक व्यक्ति झाड़ियों में छिपकर बैठा था और महिलाओं के सामने अश्लील और शर्मनाक हरकतें करने लगा। इस घटना की शिकायत तत्काल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई।

शिकायत के आधार पर सुबह ६:३० बजे आरोपी भुजंग वाघमारे (उम्र २८ वर्ष, निवासी रामनगर) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस निरीक्षक रघुनाथ के मार्गदर्शन में आरोपी को त्वरित रूप से हिरासत में लिया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जांच की गई और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद वरिष्ठ कार्यालय से दस्तावेज़ों की जांच कर आरोपपत्र क्रमांक ३३/२५ के तहत कोर्ट में पेश किया गया। इस प्रकरण की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश शिंदे ने की। महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देशों के अनुसार, परळी पुलिस ने केवल ५ घंटों में आरोपपत्र दाखिल कर सराहनीय कार्य किया। इस सफल और तेज़ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक नवनीत, अपर पुलिस अधीक्षक चेतना, और उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनिल के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक रघुनाथ, योगेश, नितीन, सविता, गोविंद, किशोर, श्री पंडित, श्री रामकिशन, श्री धनश्री और श्रीमती वर्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

औरंगाबाद के नए सी.ई.ओ. अंकित साहब का पुस्तक और शॉल देकर भव्य स्वागत

छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा, मेमोरेंडम सौंपा गया

औरंगाबाद: महाराष्ट्र स्टेट ओल्ड पेंशन राइट्स एसोसिएशन की ओर से औरंगाबाद जिला परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) श्री अंकित साहब का स्वागत गुलदस्ता की जगह पुस्तक और शॉल देकर किया गया। यह अभिनंदन एसोसिएशन के राज्य प्रवक्ता शेख अब्दुर्रहीम सर द्वारा किया गया।

इस अवसर पर नए शैक्षणिक वर्ष में छात्रों और शिक्षकों को आने वाली प्रमुख समस्याओं को लेकर सी.ई.ओ. साहब से विस्तृत चर्चा की गई और एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया।

प्रमुख मांगों में यह शामिल था कि तेज़ धूप को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया जाए, ऑनलाइन शिक्षक

स्थानांतरण पोर्टल में सुधार किया जाए, और जाली प्रमाणपत्रों की जांच सुनिश्चित की जाए।

अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श कर संबंधित मांगें मेमोरेंडम के माध्यम से प्रस्तुत की गईं। एसोसिएशन की यह पहल शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com